Ex.P.-475

S-11

कथन

(धारा 161 द०प्र०सं०)

थाना-ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक-09/15

जिला-रायपुर।
धारा-धारा-109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

सत्यनारायण सूर्यवंशी पिता श्री केदार नाथ सूर्यवंशी, उम्र 51 वर्ष, उप प्रबंधक, पी.डी.एस. कक्ष, छ.ग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर निवास मकान नं. 101, श्रीराम हाईट्स अवंति विहार, रायपुर, मोबाईल नं.- 8817903314

----000----

पूछने पर बताया कि, मैं उपरोक्त व्यक्ति हूँ। पूछने पर बताया कि मेरी नियुक्ति सहायक के पद पर वर्ष 1988 में नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल में हुई थी। मैं दिसम्बर 2001 में नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, रायपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ हुआ था। वर्तमान में मैं उप प्रबंधक, पी.डी.एस. के पद पर पदस्थ हूँ।

एस.डब्ल्यू.सी. भण्डारण शुल्क मस्ती एवं गोदाम मस्ती वर्ष 2014-15 [illegible] पूछने पर बताया कि जिला प्रबंधक बेमेतरा द्वारा पत्र क्रमांक/गोदाम आरक्षण/2014-15/[illegible] दिनांक [illegible] 2015 के माध्यम से निवेदन किया गया था कि [illegible] में राज्य भंडार गृह निगम का [illegible] मेट्रिक टन का नया गोदाम उपलब्ध है। साथ ही उनके द्वारा दूरभाष पर [illegible] बताया गया कि [illegible] मंडी का भी 1000 मेट्रिक टन का गोदाम उपलब्ध है। [illegible] बेमेतरा [illegible] के मिलर्स को इन गोदामों में चावल जमा कराने की अनुमति दी [illegible]।

मेरे द्वारा नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 50 में भी यह [illegible] किया गया था कि बेमेतरा के मिलर्स [illegible] को [illegible] गोदाम में चावल रखने की अनुमति दे दी जाए तथा [illegible] हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था, [illegible] पर [illegible] किया [illegible]। [illegible] पर श्री [illegible] बेमेतरा/कवर्धा के [illegible] की जानकारी तथा [illegible] नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 50 एवं 51 उपलब्ध कराया गया। [illegible] के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। [illegible] क्रमांक 52 पर बेमेतरा के मिलर्स को [illegible] मेट्रिक टन [illegible] गोदाम [illegible] की अनुमति दिया जा सकता यह प्रस्तावित किया गया [illegible] प्रस्तुत किया गया। [illegible] में प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित किया गया एवं बेमेतरा के [illegible] मेट्रिक टन गोदाम में चावल जमा कराने की अनुमति दी गई, [illegible] क्रमांक/[illegible]/गोदाम आर./2014-15/1923 रायपुर दिनांक [illegible] जारी किया गया।

बेमेतरा के राईस मिलर्स को हथबंद में 1800 मे.ट. क्षमता का गोदाम उपलबध कराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बेमेतरा के लिये दुर्ग में भण्डारण क्षमता उपलब्ध था तथा बेमेतरा के राईस मिलर्स द्वारा पूर्व से ही दुर्ग जिले के बोरई केन्द्र एवं भिलाई करंजा में चॉवल जमा कराया जा रहा था यह दोनों केन्द्र बेमेतरा जिला के उप केन्द्र के रूप में पूर्व से ही कार्यरत थे। अतः 1800 मेट्रिक टन की क्षमता भिलाई करंजा में नवनिर्मित गोदाम में उलब्ध कराया जा सकता था, हथबंद में रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा और खरोरा के मिलर्स का चांवल जमा हो रहा था।

अतः बेमेतरा के मिलर्स का चांवल हथबंद में मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रबंध संचालक द्वारा प्रबंधक पी.डी.एस. के अनुमोदन के अनुसार हथबंद के लिए चॉवल जमा करने का परिवहन आदेश जारी कर दिया गया ताकि बेमेतरा के राईस मिलर्स को स्पेस देकर उन्हें फायदा पहुंचाना तथा तिल्दा, नेवरा, हथबंद के मिलर्स को परेशान करने की नियत से ऐसा किया गया ताकिं तिल्दा, नेवरा, हथबंद के राईस मिलर्स मुख्यालय में इनसे संपर्क करें तथा अवैध राशि जमा करें। उपरोक्त नस्तियों की नोटशीट एवं पत्राचार में प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा और प्रबंधक(पी.डी.एस.) श्री शिवशंकर भट्ट के हस्ताक्षर हैं, मैं उनके हस्ताक्षर और लिखावट पहचानता हूँ, क्योंकि मैं उनके अधिनस्थ कार्य किया हूँ। यही मेरा कथन है।

दिनांक 02.03.2015

ROAC, before me,

(एस.जी. [illegible])
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर छ.ग.